

प्रेषक,

बी0डी0 बेलवाल,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
(मनोरंजन कर)
उत्तराखण्ड देहरादून।

वित्त अनुभाग-9

देहरादून: दिनांक 23 फरवरी, 2016

विषय:- हिन्दी फिल्म "द साइलेंट हीरोज" को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-505/मनो0कर/210-सा0/2014-15, दिनांक 05 फरवरी, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि आपके उपर्युक्त उल्लिखित पत्र में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये हिन्दी फिल्म "द साइलेंट हीरोज" को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 223/2015/XXVII(9)/मनो0कर-13/2015, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 में प्रदत्त स्वीकृति को फिल्म के प्रथम प्रदर्शन की तिथि से 01 वर्ष के लिये उक्त शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धों के अधीन विस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

(बी0डी0 बेलवाल)
अनु सचिव।

संख्या (1)/2015/XXVII(9)/मनो0कर-13/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री ऋतुराज भट्ट, कृते रियलटी फिल्मस, 15 बन विहार, बल्लपुर देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(बी0डी0 बेलवाल)
अनु सचिव।